न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/264

अब्दुल गनी आत्मज गुलाब खां जाति मुसलमान निवासी नोताड़ा तहसील दीगोद जिला कोटा

––अपीलांट

बनाम

1. आरीफ हुसैन
2. अनवर हुसैन
   पिसरान बशीर निवासीगण नोताड़ा हाल मुकाम अकलेरा, जिला झालावाड़
3. हारून बाई पत्नी हनीफ मोहम्मद निवासी ग्राम नोताड़ा
4. मशकुरा बाई पत्नी मुबारिक हुसैन निवासी शिवनगर, कोटा
5. अब्दुल मजीद
6. अब्दुल अजीज
   पिसरान अलादीन निवासीगण ग्राम नोताडा
7. बिसमिल्ला बाई मृतक
8. कमला बाई मृतक
9. रईसन बाई पत्नी अली मोहम्मद निवासी कोटडी, कोटा
10. अखलाक मोहम्मद
11. अकलिम बाई
    पिसरान अब्दुल गफूर निवासी ग्राम बालदडा
12. हयातुल निसा बेवा अब्दुल गफूर निवासी ग्राम नोताड़ा
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद
14. मजहर अली आत्मज मेहबूब अली निवासी तिलक नगर, कोटडी, कोटा
15. शोएब खां आत्मज लियाकत अली निवासी छतरपुरा विज्ञान नगर, कोटा।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री सईद अहमद खान, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 20.01.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय दीगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 196/2014 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

अपील संख्या 2015/273

अब्दुल गनी बनाम आरिफ हुसैन

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम शाहपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नं0 171 की 0.58 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी स्मवत् 2068 से 2071 संलग्न है। उक्त भूमि में प्रतिपक्षी न० 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं० 2–3–4 के मृतक पिता अं० गफूर का 1/3 हिस्सा व प्रार्थीगण नं0 1 ता 4 के पिता बशीर खां का 1/3 हिस्सा दर्ज है। अ० गफूर व बशीर की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान प्रतिपक्षी नं0 2 ता 4 व प्रार्थी नं० 1 ता 4 है। उक्त हिस्से अनुसार ही प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण नं० 1 ता 4 उपरोक्त आराजियात के 1/3, 1/3 हिस्से पर काश्त कर रहे है ओर इसी अनुसार भूमि का विभाजन किया जाकर अलग खाता दर्ज किया जावे। ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा में नकल जमाबन्दी स्मवत् 2067 से 2070 के अनुसार खसरा नं0 489 की 0.12 हैक्टर, खसरा नं0 1344 की 0.97 हैक्टर, खसरा नं० 1353 की 0.89 हैक्टर, खसरा नं0 1354 की 0.79 हैक्टर, खसरा नं0 1355 की 1.02 हैक्टर, खसरा नं0 2000 की 0.23 हैक्टर कुल 6 किता की 4–02 हेक्टर की भूमि स्थित चली आ रही है । उक्त भूमि में दर्ज खातेदार में से इमरान बेवा बशीर मोहम्मद, बिसमिल्ला बाई बेवा अलादीन, गेंदी वेवा गुलाब खां की मृत्यु हो चुकी है। उक्त भूमि के प्रतिपक्षी नं0 5–6 का 1/2 हिस्से, व शेष 1/2 हिस्से के प्रार्थीगण नं० 1 ता 4 व प्रतिपक्षी नं० 1 तथा 4 व 7 ता 8 खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण अपने 1/3 व 1/6 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हे। किन्तु प्रतिपक्षीगण के मन में बदनियती आ गयी है और उपरोक्त भूमि को लेकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने पर आमादा रहते है और लगान राज जमा करने में भी झगड़ा करते रहते है इस कारण प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी गण से उपरोक्त भूमियों का बंटवारा कराने हेतु कहा तो प्रतिपक्षी गण नाराज हो गये और दिनांक 12–11–2014 को प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण के उपरोक्त कब्जे काश्त की भूमि पर आ गये तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा करने की व बिना विभाजन कराये उपरोक्त भूमियों को रहन बेचान व खुर्द बुर्द करने की धमकी दी जिसका कि प्रतिपक्षीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने दिया ओर बेदखल कर दिया अथवा बिना विभाजन कराये भूमि को खुर्द बूर्द कर दिया तो इससे प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थीगण का दावा करना ही बेकार हो जावेगा। प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे–(1) वादपत्र की मद संख्या 1 में अंकित वाके ग्राम शाहपुरा तहसील दीगोद की खसरा संख्या 171 की रकबा 0.58 हैक्टेयर भूमि का वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के मध्य होल्डिंग विभाजन किया जाकर वादीगण के 1/3 हिस्से की भूमि को वादीगण के अलग खाते दर्ज किये जाने तथा अलग से लगान कायम किये जाने की डिक्री पारित की जावे। (2) खसरा नं० 489 की 0.12 हैक्टर, खसरा नं0 1344 की 0.97 हैक्टर, खसरा नं० 1353 की 0.89 हैक्टर, खसरा नं0 1354 की 0.79 हैक्टर, खसरा नं० 1355 की 1.02 हैक्टर, खसरा नं0 2000 की 0.23 हैक्टर कुल 6 किता की 4–02 हेक्टर भूमि का वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य होल्डिंग विभाजन किया जाकर वादीगण के 1/6 हिस्से की भूमि को वादीगण के खाते से अलग से लगान कायम किये जाने की डिक्री पारित की जावे। वादपत्र की मद संख्या 3 में अंकित वाके ग्राम नोताडा तहसील दीगोद की जावे। (3) ताफैसला दावा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ एक स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण

प्रार्थीगण को वाके ग्राम शाहपुरा तहसील दीगोद की खसरा नं0 171 की 0.58 हैक्टर भूमि के 1/3 हिस्से पर, ग्राम नोताडा तहसील दीगोद की खसरा नं० 489 की 0.12 हैक्टर, खसरा नं0 1344 की 0.97 हैक्टर, खसरा नं० 1353 की 0.89 हैक्टर, खसरा नं0 1354 की 0.79 हैक्टर, खसरा नं० 1355 की 1.02 हैक्टर, खसरा नं0 2000 की 0.23 हैक्टर कुल 6 किता की 4–02 हेक्टर भूमि के 1/6 हिस्से के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे तथा प्रार्थीगण को उक्त 1/3 व 1/6 हिस्से भूमि को काश्त करने से नहीं रोके ओर प्रतिपक्षीगण बिना विभाजन कराये उपरोक्त भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द व रहन, बेचान तथा अन्तरण नहीं करे। (4) प्रतिवादी संख्या 9 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाये। इमरान बेवा बशीर मोहम्मद, बिसमिल्ला बाई बेवा अलदीन, गेंदी बेवा गुलाब खां का नाम डिलीट किया जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2015 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय एवं डिक्री अधिनस्थ न्यायालय कानून न्याय एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय मे वादी उपस्थित नहीं हुआ। वादी के अनुपस्थित रहने तथा उसकी ओर से कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किए जाने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने कयास के आधार पर उक्त विभाजन की डिक्री पारित की जो कानून के खिलाफ है एवं निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये ही ख०न0 171 जिसके खातेदार केवल मात्र, अपीलान्ट, बशीर व गफूर के वारिसान है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बटवारे के वाद मे यह नम्बर भी जोड़कर बटवारा करने का निर्णय दिया है जो कतई गलत है व निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट ने वाद पेश किया था ओर रेस्पोडेन्ट वाद मे तारीख पर उपस्थित नहीं हुआ तो न्यायालय को चाहिये था कि वह रेस्पोडेन्ट का वाद निरस्त करता लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा न करके

कानून का उल्लंघन किया है और निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्ण निर्णय नहीं है क्योकि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय मे यह बात अंकित नहीं है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का कितना कितना हिस्सा बनता है जो दिया जावे ऐसा अंकित नहीं करके निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने कतई गलत रूप से पूर्ण कानून की मंशा को पूर्ण किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो कि निर्णय की तारीफ ने नहीं आने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 25.02.2015 में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से आबिद खान एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किए जाने का अंकन है तथा पत्रावली वास्ते जवाब/तलबी हेतु आगामी पेशी 26.03.2015 नियत किए जाने का अंकन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.02.2015 के अनुसार पत्रावली प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के जवाब एवं शेष प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन थी। दिनांक 25.02.2015 के पश्चात की किसी भी आदेशिका में जवाब प्रस्तुत किए जाने एवं शेष प्रतिवादीगण की तामील होने का अंकन नहीं है। दिनांक 30.04.2015 की आदेशिका में आगामी पेशी 19.05.2015 नियत की गई है तथा इसी आदेशिका दिनांक 30.04.2015 में "पुनश्च पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्ष0 को नोटिस जारी हो, पत्रावली दि0 1.7.15 को केम्प नोताड़ा में पेश हो।" का अंकन है। आदेशिका दिनांक 30.04.2015 के सम्मुख किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर अंकित नहीं है और ना ही लोक–अदालत के सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र जारी किए जाने का अंकन है। लोक–अदालत की आदेशिका दिनांक 01.07.2015 में केवल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति का अंकन है तथा इसके अलावा किसी अन्य पक्षकार की उपस्थिति का अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लोक अदालत की दिनांक 01.07.2015 के कोई सम्मन नोटिस/सूचना पत्र संलग्न नहीं है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के लोक–अदालत में रखे जाने के सम्बंध में अपीलांटगण को न तो कोई सूचना दी गई और न ही कोई सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र जारी किए गए। चूंकि अपीलांट को प्रश्नगत प्रकरण के लोक अदालत में रखे जाने की जानकारी नहीं थी अतः अपीलांट लोक–अदालत केम्प कोर्ट दिनांक 01.07.2015 को उपस्थित नहीं हो सके। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किसी प्रकार का राजीनामा/सहमतिनामा भी संलग्न नहीं है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक–अदालत केम्प कोर्ट में उन्हीं प्रकरणो का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत होता है जिनमें उभयपक्षकारान की ओर से विधिक रूप से राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत होता हो। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में लोक–अदालत में न तो अपीलांटगण उपस्थित थे और न ही उनकी ओर से कोई राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी ऐसा कोई लिखित राजीनामा अथवा सहमतिनामा उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की अनुपस्थिति में उभयपक्षकारान की बिना सहमति व बिना राजीनामे के लोक–अदालत केम्प कोर्ट के तहत निर्णय पारित किया

गया है जो लोक–अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते जवाब/तलबी में विचारधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपरिपक्व पत्रावली को उभयपक्षकारान की सहमति के बिना लोक–अदालत में नियत कर बिना राजीनामे के तथा अपीलांटगण प्रतिवादीगण को सुने बिना ही लोक–अदालत की भावना के विपरीत प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 196/2014 में लोक–अदालत केम्प कोर्ट में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.02.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/1/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा